मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

कमांक/ २२ /आर–601/2012/ब–1/चार भोपाल,दिनॉक 6/12/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।

विषयः–नई सेवा/ सेवा का नया साधन–वित्तीय सीमाओं का निर्धारण ।

संदर्भः–वित्त विभाग का परिपत्र क्र.1242/आर601/2012/ब–1/चार दिनॉक 30.09.2013

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । संदर्भित परिपत्र के माध्यम से नई सेवा/सेवा का नया साधन हेतु वित्तीय सीमाओं का निर्धारण किया गया था । परिपत्र में निहित निर्देशानुसार जो मद नवीन मद की श्रेणी में आनी चाहिए उनका विवरण पृथक से विधान सभा को सूचित किया जाना अनिवार्य है । देखा गया है कि नवीन मदों के समस्त प्रकरणों को बजट प्रस्तावों में नवीन मद के रूप में पृथक से नहीं दर्शाया जा रहा है । बजट में जो मद नवीन मद की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना है उन्हें इस मद के रूप में नहीं दर्शाना वित्तीय अनियमितता है ।

2/ उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बजट पुस्तिकाओं में उल्लेखित किसी योजना में पूर्व से प्रचलित अवयवों/मदों के अतिरिक्त कोई भी नवीन अवयव/मद जोड़ा जाता है या नवीन कार्य शामिल किया जाता है तो यह नवीन अवयव/मद नवीन सेवा की श्रेणी में आयेगा एवं इसका विवरण बजट पुस्तिकाओं में पृथक से दर्शाया जाना अनिवार्य है । उदाहरणार्थ यदि किसी योजना में 05 कार्य को चिन्हांकित किया गया है एवं इन कार्यो हेतु बजट लाईन उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में बजट लाईन होते हुए भी 05 कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य को शामिल करने की स्थिति में इसे नवीन मद के रूप में दर्शाया जाना एवं नवीन मद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है ।

3/ अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार नवीन मद के विवरण को अपने बजट प्रस्तावों के साथ पृथक से भेजने का कष्ट करें ताकि विधान सभा को इन मदों की सूची भेजी जा सके ।

(अमित कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.23 /आर–601/2012/ब--1/चार, भोपाल, दिनांक 6 /01/2016
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय ।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3 आयुक्त, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6/1/16
(धीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग